

भारत के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में निम्न विषयों का समावेश

- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, पंचायत, विद्युतीकरण आदि का प्रावधान।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार।
- सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान।
- कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू करना।
- ग्रहण और सखिड़ी के माध्यम से उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबीरेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगत परिवारों और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए सहायता।

→ ग्रामीण विकास कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :-

(1) सामुदायिक विकासपरियोजना ⇒

भारत में ग्रामीण विकास के लिए यह आवश्यक था कि कृषि की दशाओं में सुधार किया जाये, सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदला जाये, आवास की दशाओं में सुधार किया जाये, किसानों को कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाये। जन-स्वास्थ्य तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाये। इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सन 1958 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना २)

2

प्रधानमंत्री आवास योजना

जि नाम सितम्बर 2016 में (1985) इफिरा आवास योजना को
 बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया।
 यह एक लोक कल्याणकारी योजना है इस योजना को प्रधानमंत्री
 नरेन्द्र मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था इस योजना
 के तहत 2022 तक 2 करोड़ लोगों को आवास देने का
 उद्देश्य रखा गया है इसमें जिन के लोगों के पास घरेलू पानी
 पक्का मकान नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए कम ब्याज
 पर आर्थिक मदद दी जाती है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (फरवरी 2009)

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल

कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 1986 में हुई उस समय
 इसका नाम राष्ट्रीय पेयजल मिशन था। इसका उद्देश्य
 सभी परिवारों को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं
 के लिए उपयोग और उपयोग किमा है सुनिश्चित करे।
 सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी कार्यलयों आंचालकों
 भूगोलमा और सुरक्षित पीने के पानी के लिए पूर्ण सुनिश्चित
 अपने खुद के पीने के पानी के बगैरे और उनके गावों में
 स्वच्छता के उपबन्धन के लिए फ्यामन राज अस्थाओं और
 स्थानीय समुदायों के लिए अनुकूल वातावरण और समर्थन
 प्रदान करने है।

ग्राम: सभी क्षेत्र-विशेष कार्यक्रमों को एकीकृत कर वाटरलॉड विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन आवधिक रूप में 1995-96 में शुरू होगा लेकिन वर्ष 1994-95 को इस कार्यक्रम के लिए तैयारी का वर्ष लिखित किया गया है। इस अवधि में परिवारजनता का चयन, कार्यान्वयन, एजेंसी का चयन, कार्यान्वयन के प्रतिफल एवं प्रचार-प्रसार का कार्य सम्पादित होगा। वाटरलॉड विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:- फसल, घास एवं वृक्षों के अतिरिक्त उत्पादन के लिए मिट्टी,

1. जल एवं वनस्पति का समुचित प्रबंध।
2. मिट्टी तथा जल का संरक्षण, मिट्टी सहाय और उसके अभावपरतक या कमी लाना, 3. बढ़ते हुए जन में अवसाद कम करना तथा कानून का कार्य, कल कले और किलके द्वारा होगा यह सुनिश्चित करना।

7. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पिछली जवाहर रोजगार योजना के विनाश सम्पादन, अच्छी तरह से संगठित तथा पुनर्व्यवस्था है इस योजना को 1 अप्रैल 1993 को आरम्भ किया गया। इस योजना के तहत यह ग्रामीण मिथनों के जीवनकाल की उन्नतता में बेहतर सुधार के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभदायक रोजगार मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- इस योजना के तहत एसबी तथा एसटी नागरिकों के लिए फंड का 22.5% निश्चित किया गया है।
- इस योजना के तहत 3% सालाना आवंटन का इस्तेमाल विकलांगों के लिए बाधा रहित बुनियादी ढांचे की रचना के लिए किया जाएगा।
- इस योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा सालाना काम को

11. अन्तर्पोष्य अन्न योजना ⇒

लाहित आर्थिक वितरण प्रणाली की अधिक केंद्रित तथा गरीब आबादी के अत्यन्त गरीब वर्ग तक पहुंचने के लिए "अन्तर्पोष्य अन्न योजना" को दिसम्बर 2000 में शुरू किया गया था। अन्तर्पोष्य अन्न योजना राज्यों में वसित आर्थिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली बीपीएल परिवारों में से अत्यन्त गरीब परिवारों की पहचान करके अतिरिक्त रिशतनी दर पर धान की 2 रु प्रति किलो गेहूँ और 3 रु प्रति किलो चावल उपलब्ध कराती है।

12. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितम्बर 2001 को प्रारम्भ हो गई। यह कार्यक्रम पहले सैजारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों में खाद्य सुरक्षा के साथ-सहिष्णु रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सहायी समुदायिक परियोजनाओं का निर्माण करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोबिम पूर्ण अवसरों से दूर रह गए लोगों के अभिभावकों पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि इस योजना के तहत रोजगार देने में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। एनआरडीपीए प्रारम्भ हो चुका है।

13. प्रधानमंत्री ग्रामीण पोषण योजना ⇒

2000-01 में
यह योजना

दिया गया है। इस अनंतिम योजना के लिए निधियां अनतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य योजना कोषों की छात्री है तथा राज्यों के पास लाभभोगियों को चुनने तथा इसके कान्तिवहन को चुनने के लिए अपेक्षित अनुमति है। राज्य सरकारों को अनाज बीपी एल इत पर उपलब्ध कराया जाता है।

10. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ⇒ भारत सरकार ने 25 सितम्बर 2000

को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले (पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव) सड़क-संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त से ही इसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है।

इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा गांवों को होगा, जहां छोटे किसान बाहरी से सीधे जुड़ सकेंगे और अपनी फसल बेच पाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों को सही रखना यानि अगर किसी तरह की परेशानी से सड़क खराब होनी है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा। इसमें सरकार ने मेरी सड़क के नाम से एक सरकारी ऐप जारी किया है। अगर आपके गांव की सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है या फिर किसी कारण खराब हो गई तो आप इस ऐप के जरिए सीधे प्रधानमंत्री से शिकायत कर सकते हैं। इस योजना के द्वारा ग्रामीण इतर ग्राम सड़क योजना के तहत रेल कांसिंग और तिराहों पर और ब्रिज बनाने का काम भी शामिल है।

विशेष रूप से गांवों की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना

16. भारत निर्मणि योजना

'गांव की ओर एक कदम' की नीति को
सहीर करते हुए केन्द्र सरकार ने 16 दिसम्बर 2005 को
'भारत निर्मणि योजना' नाम की एक नई योजना की शुरुआत
इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित
करना है। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित
किया जा रहा है। इस योजना को लागू करने की अवधि 10
साल के लिए निर्धारित की गयी है। निम्न अनुमानित व्यय का
174000 करोड़ रूपये का है। यह मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित
है। यिनमें बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरदर्शन और दूर
ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल है।

17. ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य
के लिए 12 अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य निम्न
है:- 1. बाल मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना।
2. महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, शौचालय व स्वच्छता
प्रतिरक्षण एवं पोषाहार जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में
सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना।
3. स्थानीय स्तरीय स्वास्थ्य के साथ संचरणीय एवं गैर संचरणीय रोगों
की रोकथाम एवं निपटारा। 4. एकीकृत वृद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य
सुविधा को सुदृढ़ बनाना। 5. जनसंख्या स्थिरीकरण एवं लिंगानुपात
तथा जनसांख्यिकी संतुलन।
6. स्वास्थ्य धीवरी शैली को बढ़ावा देना

तैयार करने का एकमात्र अधिकार है तथा ग्राम सभा के अध्यक्ष से इसके कार्यान्वयन है ① इस योजना के तहत इस छोटे ग्राम में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच 25:75% खर्च की साझेदारी के आधार पर केन्द्र आयोजित योजना के रूप में जारी किया जायेगा।

8. स्वयंज्योती ग्राम स्वरोजगार योजना

योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में पहली अप्रैल, 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की मदद करने सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, समता निमेष और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की कल्पना के जरिए उन्हें स्वयं-सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक प्रणाली और सरकारी साझेदारी के जरिए किया जाता है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे रह रहे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें कोई भी पेंशन न मिल रही हो, उन्हें अन्न सुरक्षा प्रदान करना है।

9. अन्नपूर्णा योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत 2000-2001 में की गई। 65 वर्ष अथवा उस से अधिक आयु के दरिद्र वरिष्ठ नागरिक जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए हकदार हैं लेकिन उन्हें यह पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है उन्हें इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किनो ग्राम अनाज की मुक्त आपूर्ति इस योजना के अन्तर्गत की जाती है।

वर्ष 2002-2003 में इस राज्य योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल है के साथ राज्य योजना में अंतर्लित कर

प्रारम्भ हुई। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना भारत सरकार की ही महत्वपूर्ण योजना है इसके अन्तर्गत गांव के विकास के आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न सहयोग किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य चलाये जाते हैं:-

1. मिड. डे मिल योजना
2. समेकित बाल विकास योजना
3. किशोरी शक्ति योजना

1. मिड. डे मिल योजना

यह योजना विद्यालय के बच्चों के कुशलता के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। सर्वप्रथम मिड. डे मिल योजना को 15 अगस्त 1995 को 2000 से अधिक प्रखण्ड के स्कूलों में लागू किया गया था। इस योजना की सफलता के बाद सरकार की याच 2005 में पूरे देश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया था और वर्तमान में यह योजना हमारे पूरे देश के सरकारी स्कूलों में चल रही है।

2. समेकित बाल विकास योजना

समेकित बाल विकास योजना तक के सभी बच्चों, गर्भवती महिलायें एवं छात्री माताओं को पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत समावेश कर उनके को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत देश में चलायी है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा सहयोग मिल रहा है।

साथें आदर्श ग्राम योजना ७ (11 अक्टूबर 2014)

11 अक्टूबर 2014 को भारत की सर्व साथें आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों और शहरों के लोगों में उन मूल्यों को स्थापित करना है जिससे वे स्वयं के जीवन में सुधार कर दूसरों के लिए एक आदर्श गांव बनाएं। यह योजना साथें के दो नो-सदनों के साथें को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने निवर्तित क्षेत्र के कम से कम एक गांव की पहचान करें और 2016 तक एक आदर्श गांव का विकास करें। और 2019 से और गांवों को शामिल करते हुए देश भर में फॉलो 6 लाख गांवों में से 2,500 से अधिक गांवों को एक योजना का हिस्सा बनाएं। इसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाएँ में सुधार, उच्च उत्पादकता, मानव विकास में वृद्धि करना, आजीविका के बेहतर अवसर, अधिकारों व एक की प्राप्ति, उत्पादक सामाजिक गतिशीलता और समृद्धि सामाजिक पूर्णता प्राप्त करना।

प्रधानमंत्री जन धन योजना ७


24 प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाना खोलना है। यह योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इस परिपालन की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को इन्मेंत किया जिससे उन्होंने 'हर परिवार के लिए बैंक खाना को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाना खोलने के लिए सभी बैंकों को कसर कसने को कहा। योजना के

ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्याएं

53

समस्याएं निम्नलिखित हैं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम की



जनसहयोग का अभाव

विकास कार्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर जनसहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रत्येक स्तर पर इसका निराला अभाव है। यहाँ लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण कार्यक्रम पूर्णतः से प्रभावी नहीं बन पाते। यहाँ पर जो लोग सामाजिक व आर्थिक स्थिति वाले ही इस कार्यक्रम को जान पाते हैं गांव के अन्य लोगों में सहयोग का पूर्ण अभाव पाया जाता है।

Teacher's Signature _____

2. कार्यक्रम में नौकरशाही का बोलबाला

विकास योजना के

प्रत्येक स्तर पर नौकरशाही का बोलबाला रहा है। योजना के उच्च पदस्थ अधिकारी निम्न अधिकारीओं का आदेश तो देते हैं लेकिन अपने नीचे ग्रामीण स्तर के अधिकारीओं की अनुभवसिद्ध तथा विश्वस्त बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसके फलस्वरूप यह योजना ग्राम से तक विल पर एक योजना की सफलता आधारित है वे गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता करने में लगाए गए

3. प्रशिक्षित कार्यकर्तों का अभाव

कार्यक्रमों के विकास के

लिए प्रशिक्षित कार्यकर्तों का अभाव पाया जाता है। यद्यपि सरकार ने कुछ कार्यकर्तों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों तथा विशेष शिविरों का आयोजन किया लेकिन बट कठपुतली की अपेक्षा ही कि विल तेजी से विकास खण्डों की संख्या में वृद्धि रही है, उतनी तेजी से कार्यकर्तों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर नियुक्त अधिकारी, कार्यकर्ता तथा कर्मचारी अपने दायित्व को समुचित रूप से निर्वह नहीं कर सकते।

4. विकास की धीमी रफ्तार

जो गांव, शहरों के किनारे

या मुख्य राजमार्गों पर बसे हैं उनका विकास तो हो गया है परन्तु जो गांव शहरी सीमा से दूर हैं वे अभी भी विकास की राह देख रहे हैं। कई गांवों को तो अब तक मुख्य

मड़की से जोड़ा भी नहीं गया है। नेता और राजनीतिक पार्टियों केवल चुनाव के समय इन गांवों की ओर खूब कर्त्ती है और ग्रामवासियों के मन में नयी आस दे जाते हैं।

अशिषा ७)

अशिषा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सबसे बड़ी समस्या है लोगों को इन कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अशिषा के कारण वे अपने अधिकारों व दायित्वों के प्रति सजक ही नहीं होते।

स्थानीय नेतृत्व का अभाव ७)

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय नेतृत्व का विकास करना है लेकिन आरम्भ से ही इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिषा, अज्ञानता, सामाजिक-आर्थिक असमानता, प्राथमिक भिन्नताओं तथा उच्च जातियों के शोषण के कारण निर्धारित प्रकार के बिना स्वस्थ नेतृत्व को विकसित करना संभव नहीं है।

भूधन्यार ७)

हमारे पास दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। गंगा-यमुना के मैदान में इतना अनाज पैदा किया जा सकता है कि पूरे देश का पेट भरा जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण दुसरे देश आज भी हमारी और ललन्यार नजरा से देखते हैं। हमारी विभिन्न भूधन्यार देशों में होती है। हमारी तमाम योजनाएं भूधन्यार की भर-पूर जाती हैं। केन्द्र सरकार अथवा विश्व बैंक की कोई भी योजना है उसके इलाके कितने ही महान रूप में